कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी नैनीताल।

:–कार्यालय आदेशः–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण अधिनिमय् 2017 की धारा 17 (1) (क) के प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या 385025/xxx(2) /2026/ई0- 20917 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग –2 दिनांक 06 अप्रैल, 2026 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र 2026–27 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी, नैनीताल के अन्तर्गत कार्यरत मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कार्मिक का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख निम्नवत तालिका के स्तम्भ–4 में अंकित उनके नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा–17 (1) (क) अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)।

क0 सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित संस्था का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्री सुरेन्द्र सिंह भाकुनी वरिष्ठ सहायक	कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी –अल्मोड़ा	कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी –चम्पावत	जनहित

1– उपरोक्तानुसार सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम् 2017 के प्राविधानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह0/
(डा0रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 819 /स्था0–02/वा0स्था0/2026–27 दिनांक 30-06-2026

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
2– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा/चम्पावत।
3– सम्बन्धित कोषाधिकारी – अल्मोड़ा/चम्पावत।
4– निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून की सेवा में सूचनार्थ।

(डा0रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी नैनीताल।

:–कार्यालय आदेशः–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण अधिनिमय् 2017 की धारा 17 (1) (ग) के प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या 385025/xxx(2) /2026/ई0- 20917 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग –2 दिनांक 06 अप्रैल, 2026 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र 2026–27 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल हल्द्वानी, नैनीताल के अन्तर्गत कार्यरत मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कार्मिकों का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख निम्नवत तालिका के स्तम्भ–4 में अंकित उनके नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा–17 (1) (ग)– अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम)।

क0 सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित संस्था का नाम	स्थानान्तरण का प्रकार
1	2	3	4	5
1	श्री गिरीश चन्द्र आर्या वरिष्ठ सहायक	कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी –चम्पावत	कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी –अल्मोड़ा	जनहित

1– उपरोक्तानुसार सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम् 2017 के प्राविधानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह0/
(डा0रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 820 /स्था0–02/वा0स्था0/2026–27 दिनांक 30-06-2026

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
2– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी– चम्पावत/अल्मोड़ा।
3– सम्बन्धित कोषाधिकारी – चम्पावत/अल्मोड़ा।
4– निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून की सेवा में सूचनार्थ।

(डा0रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।